





Vinoba Bhave University, Hazaribag

B.A. Honours Semester - III (Under CBCS) Examination 2021 - 2024

SNO : 120500254


ADMIT CARD

REGISTRATION NO :	VBU2021022323	YEAR : 2021
NAME OF COLLEGE	021 - ANNADA COLLEGE, HAZARIBAG	
NAME OF STUDENT	JUNAID AKHTAR	
FATHER'S NAME	MD JABIR HUSSAIN	
DATE OF COMMENCEMENT OF EXAMINATION	30/01/2023	
CENTRE OF EXAM	019 - MARKHAM COLLEGE OF COMMERCE, HAZARIBAG	
ROLL NUMBER	220211019072	

PAPER	CORE - 5	CORE - 6	CORE - 7	GE	SEC
CODE	011	011	011	012	120
SUBJECT	Economics	Economics	Economics	Geography	Constitution of India and Human Rights
DATE	02/02/2023	08/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	02/03/2023
SITTING & TIME	2nd - 1.30 PM TO 4.30 PM	2nd - 1.30 PM TO 4.30 PM	2nd - 1.30 PM TO 4.30 PM	2nd - 1.30 PM TO 4.30 PM	2nd - 1.30 PM TO 3.00 PM

Note :

Any kind of specific identifying marks made by student in the Answer Book is subject to non evaluation/or shall be treated as unfair means. Bringing of calculators/cellular phones or any other electronic gadget in side the examination hall shall be deemed as unfair means and breach of examination rules


Controller of Examinations

महत्वपूर्ण निर्देश:-

परीक्षार्थियों के लिये नियम

- परीक्षाएँ प्रकाशित तिथि को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। विशेष जानकारी महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- निर्धारित समय से आधे घंटे विलम्ब से आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- जो उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को एक बार सौंपी जा चुकी हो, वह किसी भी हालत में परीक्षार्थी को लौटायी नहीं जायेगी
- परीक्षा कक्ष से प्रश्न-पत्र और प्रवेश-पत्र के अलावे अन्य कागजात बाहर ले जाना परीक्षार्थियों के लिए वर्जित है।
- प्रश्न-पत्र बंटने के ठीक पाँच मिनट पहले घंटी बजायी जायेगी जो इस बात की चेतावनी होगी की सभी परीक्षार्थी अपने स्थानों पर बैठ जाएँ। चेतावनी की इस घंटी के बाद परीक्षा भवन या उसके निकटवर्ती स्थानों पर कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाई की जा सकती है।
- परीक्षा बहिष्कार करने या सामूहिक कदाचार करने पर पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है।
- वीक्षक या केन्द्राधीक्षक को डरवाने या धमकाने अथवा प्रताड़ित करने पर 2 से 5 वर्षों तक विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
- परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में मोबाईल लाना वर्जित है। पकड़े जाने पर परीक्षा से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जायेगा।
- इस नियम में जो बातें न आ सकी हों उनके संबंध में केन्द्राधीक्षक आवश्यकतानुसार परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथोचित आदेश दे सकते हैं और उसकी सूचना विश्वविद्यालय को भेज दें।
- परीक्षार्थी को भाषा (Language) के अलावा बाकी सभी विषयों की परीक्षा केवल हिन्दी या अंग्रेजी Script में लिखना अनिवार्य है।